Websites:
http://www.sciencepub.net/academia
http://www.sciencepub.net

Emails:
aarena@gmail.com
editor@sciencepub.net

Academia Arena

MARSLAND PRESS
Multidisciplinary Academic Journal Publisher

पंचायती राज पर साहित्य कि समीक्षा (Review of literature on Panchayati Raj)

*Dr. Ritesh Mishra and **Mrs. Seema

* Associate Professor, Department of Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan (India)
**Research Scholar, Department of Political Science, OPJS University, Churu, Rajasthan (India)
Email: seema2304355@gmail.com

Abstract: In the article 40 of Indian Constitution, it is mentioned that a step is very important for Indian Gram Panchayat. This step provide powers and rights to gram panchayat. But notwithstanding this instruction in Article 40, the entire country did not take care that elections should be held for these local units as units of representative democracy. With this view, the Panchayati Raj Institutions have been given constitutional recognition by the 73rd Amendment of the Constitution to make Panchayat run more smoothly. In this research paper has been added to the constitution. Chapter 9 adds 16 Articles and a Schedule to the Constitution (Eleventh Schedule). The 73rd Constitution Amendment Act, 1993 has come into force with effect from 25 April 1993.
[Mishra, R. and Seema. **Review of literature on Panchayati Raj.** *Academ Arena* 2020;12(7):12-16]. ISSN 1553-992X (print); ISSN 2158-771X (online). http://www.sciencepub.net/academia. 4. doi:10.7537/marsaaj120720.04.

Keywords：Review； literature; Indian; Constitution

सारांश:

संविधान के अनुच्छेद 40 के रूप में एक निदेश समाविष्ट किया गया जिसमें राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करने के लिए कदम उठाएगा और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। लेकिन अनुच्छेद 40 में इस निर्देश के होते हुए भी पूरे देश में इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया कि प्रतिनिधिक लोकतंत्र की इकाई के रूप में इन स्थानीय इकाइयों के लिए निर्वाचन कराए जाएं। इस दृष्टि से पंचायत को अधिक सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान में नया अध्याय 9 जोड़ा गया है। अध्याय 9 द्वारा संविधान में 16 अनुच्छेद और एक अनुसूची (ग्यारहवीं अनुसूची), जोड़ी गई है। 25 अप्रैल, 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1993 लागू हुआ है।

कुंजी शब्द: gfj;k.kk, पंचायती राज, साहित्य

प्रस्तावना: भारत एक पुरुष प्रधान देश है। भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है। विद्वानों का मानना है कि प्राचीन भारत में महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ बराबरी का दर्जा हासिल था। समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आई। जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक तथा सामाजिक जीवन का एक हिस्सा बन गयी थी। आज भी हमारे देश में महिलाएं प्रशासनिक एवम् राजनैतिक रूप से काफी पिछड़ी हुई है। आज भी देश में महिलाओं को एक बुरी नजर से देखा जाता है। उनको समाज में पुरूषों के बराबर के अधिकार नहीं दिए जाते है। भारतीय समाज में नारी को इतना दबा कर रखा गया हैं कि उसे अपनी क्षमताओ व सामर्थ्य पर विश्वास ही नहीं रहा। अगर भविष्य में महिलाओं को सामान अधिकार दे भी दिए जाए, तो भी उन्हें बराबरी का दर्जा पाने में कई रुकावटों का सामना करना होगा। समान अधिकार के दावे के रास्ते में धार्मिक परम्पराएँ भी बाधक हैं। आज भी कुछ मंदिरों में महिलाओं के प्रवेश पर रोक है और उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को धार्मिक मान्यता मिली हुई है। मुस्लिम महिलाएं अधिकांश

धार्मिक स्थलों पर नहीं जा सकतीं। दिल्ली का निजामुद्दीन दरगाह उनके लिए प्रतिबंधित है। मुंबई के हाजी अली दरगाह के संरक्षकों ने 2001 फतवा जारी कर परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यहां तक कि स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त और अपराध संबंधी मानक भी चिंताजनक हैं।[2]

उपलब्ध साहित्य कि समीक्षा

भारत में 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओ में महिलाओं कि स्थिति के व्यावहारिक अध्ययन के लिए अनेक प्रकार की पुस्तके, शोध पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित हुई हैं। जो विभिन्न प्रकार से पंचायती राज संस्थाओ में महिलाओं कि स्थिति को दर्शाती हैं। चायती राज संस्थाओ में महिलाओं कि स्थिति के व्यावहारिक अध्ययन के लिए साहित्य का वर्णन निम्म प्रकार से है:

महात्मा गांधी, "टू दा वुमैन ऑफ इंडिया: यंग इंडिया", 4 अक्टूबर, 1930, पृष्ट संख्या 142 । गाँधी जी ने महिलाओं की पंचायती राज मे भूमिका का वर्णन किया है। इसमे गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा पर ज़ोर दिया है। गांधी जी ने कहा है की अगर महिलाओं को शिक्षा दी जाए और उन्हें पंचायती राज में आरक्षण दिया जाए तो महिलाएं पुरुषों से बेहतर साबित हो सकती है।

सुरेश सिंह ढिल्लन, "भारत में स्थानीय स्वशासन", राधा प्रकाशन जयपुर, 1955, पृष्ट संख्या 47 । लेखक ने दक्षिण भारतीय गाँवों के नेतृत्व एवम् वर्ग सम्बन्धी अध्ययन किया था। उसने अपने अध्ययन के आधार पर स्प्ष्ट किया है कि भारतीय ग्रामीण नेतृत्व के स्वरूप में मुख्यतः परिवार का सामाजिक व आर्थिक स्तर एवम् व्यक्तिगत के लक्षण आदि प्रभावित होते हैं।

ऑस्कर लेविस, "ग्रामीण विकास और पंचायती राज", क्लासिक कम्पनी पब्लिकेशन, जयपुर, 1985, पृष्ट संख्या 45 । इस पुस्तक में उतर भारत के ग्रामीण जीवन से सम्बन्धित अध्ययन के आधार पर बताया की भारत के ग्रामीण नेतृत्व का निर्धारण धन, पारिवारिक प्रतिष्ठा, आयु, व्यक्तिगत के लक्षण, शिक्षा, पारिवारिक प्रभावशीलता एवम् देश आदि तत्वों पर निर्भर करता हैं।

बैजनाथ सिंह, "द रनपुर ऑफ़ द कम्युनिटी डवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रुरल लीडरशिप", ऑक्स्फ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1959, पृष्ट संख्या 413 । लेखक ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के ग्रामीण नेतृत्व पर प्रभावों को उतर प्रदेश में इटावा जिले के संक्षिप्त अध्ययन के आधार पर किया हैं। उनके अनुसार सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने ग्रामीण क्षेत्रों का विकास किया हैं। इसके आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन मूल्यों एवम् आशाओं का सूत्रपात हुआ है।

बैंकटरया मालून और रेड्डी राम, "पंचायती राज इन आंध्रप्रदेश स्टेट ऑफ़ पंचायती राज हैदराबाद", उनिक पब्लिकेशन, हैदराबाद, 1967, पृष्ट संख्या 218। पंचायती राज की ऐतिहासिक पृष्टभूमि का वर्णन करते हुए इन संस्थाओ की बेहतरी के लिए गठित विभिन्न समितियों की अनूसंस्थाओ की विवेचना भी की हैं आंध्रप्रदेश प्रदेश में लागू पंचायती राज व्यवस्था का चित्रण करते हुए इन संस्थाओ का वितीय, प्रशासनिक एवम् राजनैतिक समस्याओं का विशलेषण किया हैं।

भानु सिंह भार्गव, "पंचायती राज सिस्टम एंड पोल्टिक्स पार्टीज", आशीष पब्लिकेशन, हाउस, नई दिल्ली, 1979, पृष्ट संख्या 31 । लेखक ने स्थानीय नेतृत्व सम्बन्धी अपने अध्ययन में स्पष्ट किया हैं कि पंचायती राज संस्थाओ के प्रमुख नेताओं एवम् उच्च स्तर के नेतृत्व के बीच नए प्रकार के राजनैतिक सम्बन्ध विकसित हुए जिसके तहत पंचायत स्तर का विकासात्मक नेतृत्व उच्च स्तर के लिए के रूप में उपयोगी सिद्ध हुआ हैं।

राजीव दयाशंकर, "लीडरशिप इन पंचायती राज", पंचशील प्रकाशन जयपुर, 1979, पृष्ट संख्या 197 । लेखक ने पंचायतो के नेतृत्व सम्बन्धी अध्ययन किया हैं। महाराष्ट्र राज्य के एक जिले के त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के नेतृत्व के अध्ययन से बताया कि शहरी क्षेत्र में शहरीकरण व औधोगिकरण की प्रक्रिया के कारण जाति व्यवस्था का प्रभाव कम हुआ हैं।

सुरेश देव चौधरी, "अमर्जिंग रुरल लीडरशिप इन इंडिया", स्टेट मयान पब्लिकेशन हॉउस, 1981, पृष्ट संख्या 117 । लेखक ने उभरते ग्रामीण विकास नेतृत्व को स्पष्ट किया है तथा यह अध्ययन सर्वेक्षण से एकत्रित प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण पर आधारित है। इस अध्ययन से ग्रामीण क्षेत्र स्थानीय स्वशासन में नेतृत्व की पृष्ट भूमिका

एवम् उसकी कार्यप्रणाली को समझाने हेतु उचित दिशा मिलती है।

इलजाल अनीस जैदी, "पोल्टिक्स पावर एंड लीडरशिप इन रुरल इण्डिया", कोमनवल्थ, नई दिल्ली, 1988, पृष्ट संख्या 238 । इस पुस्तक में उतरी भारत के गावों में राजनैतिक परिदृश्य का गहन एवम् सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में स्वतंत्रता के पश्चात् से 1982 तक राजनैतिक विकास का समाहित करते हुए ग्राम पंचायतो के चुनावों का विश्लेषण किया हैं।

हनुमंत राव, "पंचायती राज संस्थाओ के वितीय प्रावधान एवम् स्थिति की समीक्षा", सर्वोदय पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 2014, पृष्ट संख्या 152 । लेखक ने अपनी पुस्तक में पंचायती राज में महिलाओं की स्थिति और प्रतिनिधित्व का विश्लेषण करते हुए सन् 1959 से प्रचलित पंचायती राज की सफलता और सीमाओं का विश्लेषण किया है। लेखक के अनुसार वर्तमान पंचायती राज व्यवस्था में कुछ नये रुझान, महिला विकास से जुड़ी नीतियां व कार्यक्रम इस अध्ययन का महत्वपूर्ण भाग है। ग्रामीण महिलाओं के विकास कार्यक्रमों में कम उपस्थिति के कारकों को भी स्पष्ट किया गया है। महिलाओं का पंचायती राज में प्रतिनिधित्व, उनकी सदस्यता की गुणवता, जागरूकता, महिला सदस्यों की भागीदारी और पीठासीन अधिकारियों के रूप में महिलाओं की भूमिका आदी का लेखक ने वर्णन किया है। सामाजिक सम्बन्धों के बदलते आयाम तथा नई पंचायती राज व्यवस्था का आरम्भ और उसका महिलाओं के जीवन पर प्रभाव को विस्तार से व्यक्त किया गया है। लेखक स्पष्ट करता है कि किस तरह आरक्षण महिलाओं की स्थिति, उदेश्यपूर्ण उपयोगिता और महत्वपूर्ण परिणामो के रूप में आंध्रप्रदेश के कुछ भागों में सामने आया है। अध्ययन स्पष्ट करता है कि ग्रामीण भारत में महिला सशक्तिकरण का उचित उपयोग नहीं हो रहा है। प्रस्तुत पुस्तक में यह भी वर्णन किया है कि किस तरह से संरचनात्मक, कार्यात्मक दृष्टिकोण और वातावरण महिलाओं के राजनैतिक प्रक्रियाओं में प्रवेश और सक्रिय सहभागिता में बाधा है। लेखक ने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए है जो महिलाओं की विकास प्रक्रियाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी (विशेषत: निर्णय – निर्माण प्रक्रिया) को बढ़ाने में सहायक है।

रवि कुमार शर्मा, "पोल्टिक्स लीडरशिप", अमर पब्लिकेशन नई दिल्ली, 1991, पृष्ट संख्या 291 । लेखक ने अपनी पुस्तक में ग्रामीण राजनैतिक नेतृत्व को जनता के विचारों के प्रभाव, राजनैतिक समाजीकरण की प्रक्रिया का राजनीतिकरण एवम् विकास के सन्दर्भ में विश्लेषण किया है।

चक्रवर्ती और भट्टाचार्य, "लीडरशिप फंगशन एंड पंचायती राज", रावत पब्लिकेशन जयपुर, 1993, पृष्ट संख्या 91 । लेखको ने अपनी पुस्तक में गुटबंदी एवम् पंचायती राज का वर्णन किया है। उन्होंनें अपने अध्ययन में ग्रामीण शक्ति संरचना के साथ ग्रामीण राजनीति से सम्बन्ध स्पष्ट करते हुए ग्रामीण नेतृत्व विभाजन का भी अध्ययन किया है।

सुनील कैशिक, "रुरल ऑफ़ पंचायती राज एंड वोमेन रिजर्वेशन", जर्नल ऑफ़ हिस्ट्री एंड पोलिटिकल साइंस, 1993, 4(8), पृष्ट संख्या 96 । लेखक ने अपने शोध पत्र में महिलाओं एवम् पंचायती राज पर अध्ययन करते हुए कहा है कि 73वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात् एक तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षण के संवैधानिक प्रस्ताव के बाद यह अध्ययन विषय के लिए महत्वपूर्ण है।

शकुन्तला शर्मा, "क्रॉसरूट पॉलिटिक्स एंड पंचायती राज", दीप एंड दीप पब्लिकेशन, 1994, पृष्ट संख्या 86 । लेखिका ने अपनी पुस्तक में स्थानीय राजनैतिक एवम् पंचायती राज का वृहद् विवेचन प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में पंचायती राज व्यवस्था के विकास के साथ पंचायतो के नेतृत्व का पंचायती चुनाव एवम् मतदान व्यवहार के सम्बन्ध में विश्लेषण किया है।

सांसद एवम् विधायक बीजू पटनायक व शिवराज पाटिल, "पंचायती राज", इंस्टीट्यूट ऑफ़ शोशल साईंस, नई दिल्ली, 1994, पृष्ट संख्या 86 । लेखको ने अपनी पुस्तक में विधायको की ऐतिहासिक समीक्षा की है। स्थानीय लोगों के विकास में सांसदों की भूमिका, विधायको की पंचायती राज में भूमिका तथा पंचायती राज को प्रभावित बनाने के लिए उनका क्या योगदान आदी तथ्यों का विश्लेषण किया है।

गुरु देव भट्ट, "दिस थ्री सिस्टम पंचायती राज एंड ट्रेडिशनल रूरल पॉलिटिक्स", 1994, पृष्ट संख्या 86 । लेखक ने अपने शोध पत्र में पिथोरागढ़ (उतर प्रदेश) में

त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था व ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में वर्णन किया है। इस आन्दोलन में मुख्यतः ग्रामीण परम्परागत राजनैतिक अभिजन वर्ग के स्थान पर नये विकास की व्यवस्था की हैं।

उम्मन एवम् अभिजित दन्त, "पंचायती राज एंड देयर फाइनेंस", रावत पब्लिकेशन न्यू दिल्ली, 1995, पृष्ट संख्या 91 । इस पुस्तक में पंचायतो एवम् उनकी वितीय व्यवस्था पर अध्ययन किया हैं। प्रस्तुत अध्ययनों में उन्होंनें वर्तमान पंचायतो की वितीय व्यवस्था संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन एवम् 10वें वित्त आयोग की शिफारिश के सन्दर्भ को भी विश्लेषित किया है।

जार्ज मान व रमेश चन्द, "पंचायतो के व्यवहार में क्या लाभ है, इनमें शोषित वर्गो को", चन्द्र पब्लिकेशन हाउस, जोधपुर, 1994, पृष्ट संख्या 181 । लेखक ने अपनी पुस्तक में आज हमारे गाँव क्या हैं, ग्राम वासियों ने किस तरह का जीवन व्यतीत किया हैं, गावों की सामाजिक व्यवस्था क्या सचमुच बदली आदी का वर्णन किया हैं।

गिरिस कुमार एवम् बुद्धदेव घोष, "पंचायती राज इलेक्शन", कोस्पेर पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ट संख्या 73 । लेखको ने अपनी पुस्तक में पश्चिम बगाल में मई, 1996 के चुनावों का सूक्ष्म अध्ययन किया है। इस अध्ययन में चुनावों की सहभागिता एवम् पंचायती राज संस्थाओ की कार्यप्रणाली जैसे दोनों महत्वपूर्ण कार्यो को सम्मलित किया हैं।

भोला नाथ घोष, "रूरल लीडरशिप एंड डेवलपमेंट", मोहित पब्लिकेशन हाउस, न्यू दिल्ली, 1996, पृष्ट संख्या 42 । लेखक ने अपने अध्ययन में ग्रामीण जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व सांस्कृतिक पक्षों का विश्लेषण किया है। वही ग्रामीण नेतृत्व के मुद्दों की भूमिका को स्पष्ट किया हैं।

राजेन्द्र कुमार सिह, "ग्रामीण राजनीति अभिजन", क्लास्सिक पब्लिकेशन हाउस, दिल्ली, 1996, पृष्ट संख्या 142 । इस पुस्तक में पूर्वी उतरप्रदेश के विशेष सन्दर्भ में एक सूक्ष्म अध्ययन किया हैं। इस अध्ययन में पंचायती राज व्यवस्था एवम् ग्रामीण विकास के व्यावहारिक पक्षों को इसमें उज्जागर करते हुए ग्रामीण राजनीति परिवेश को स्पष्ट किया हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

साहिल भट्टनागर, "रूरल लोकल गवर्मेंट इन इण्डिया", लाइफ़ एंड लाइट पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 1978, पृष्ठ 41-48 ।

शुक्ला, अभय और अमिता, "मानव के भरतीय सविधान में अधिकार", जरनल ऑफ़ रूरल डिवलपमेंट, 2001, 9(2), पृष्ठ 131-138 ।

नरेन्द्र तिवारी, "वीमेन एम्पावरमेंट", योजना पब्लिकेशन, न्यू दिल्ली, 2012, पृष्ठ 118- 132 ।

डॉ. अजय रंगा, "हरियाणा की पंचायतो मे महिलाओ की स्थिति", दया पब्लिकेशन हॉउस, अजमेर, पृष्ठ 12-33 ।

डॉ. शारदा अग्रवाल, "आधी आबादी का यथार्थ, भारतीय नारी" राधा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2000, पृष्ठ 20 ।

रीता सिंह, "महिला दिवस पर अपराध और अत्याचार के आकड़े", न्यूज़, पृष्ठ 1-5 ।

चन्द्रा रमेश, "भारत में सामाजिक विकास", ईशा बुक्स, 2004, 4(3), पृष्ठ 72 ।

डॉ. के. एन. दोदमानी, "एम्पावरमेंट ऑफ़ वीमेन रिपर्जनटेसन इन पंचायती राज", जर्नल ऑफ़ रिसर्च इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल साइन्स, 2004, 2(3), पृष्ठ 9–14 ।

"वीमेन एंड पंचायती राज", सन्टर फॉर वीमेन डवलपमेंट स्टडीज, गोल मार्केट, नई दिल्ली, 2009 ।

भास्कर न्यूज़ चंडीगढ़, 8 अप्रैल, 2015 ।

महात्मा गाँधी, "दा टू वीमेन ऑफ़ इंडिया", यंग इंडिया, 1955, पृष्ठ 142-148 ।

सुरेश सिंह ढिल्लन, "भारत में स्थानीय स्वशासन", राधा प्रकाशन जयपुर, 1955, पृष्ठ 47-48 ।

ऑस्कर लेविस, "ग्रामीण विकास और पंचायती राज", क्लासिक कम्पनी पब्लिकेशन जयपुर, 1985, पृष्ठ 43-45।

बैजनाथ सिंह, "द रनपुर ऑफ़ द कम्युनिटी डवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रुरल लीडरशिप", ऑक्स्फ़र्ड युनिवर्सिटी प्रेस, 1959, पृष्ठ 413-415 ।

बैंकटरया मालून और रेड्डी राज, "पंचायती राज इन आंद्रप्रदेश स्टेट ऑफ़ पंचायती राज हैदराबाद", उनिक पब्लिकेशन हेदराबाद, 1967, पृष्ठ 218-311 ।

भानु सिंह भार्गव, "पंचायती राज सिस्टम एंड पोल्टिक्स पार्टीज", आशीष पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, 1979, पृष्ठ 18-31 ।

राजीव दरसांकर, "लीडरशिप इन पंचायती राज", पंचशील प्रकाशन जयपुर, 1979, पृष्ठ 197-200 ।

सुरेश देव चौधरी, "अमर्जिंग रुरल लीडरशिप इन इंडिया", मयान पब्लिकेशन हॉउस, 1981, पृष्ठ 117-238 ।

इलजाल अनीस जैदी, "पोल्टिक्स पावर एंड लीडरशिप इन रुरल इण्डिया" कोमनवल्थ, नई दिल्ली, 1988, पृष्ठ 238 ।

हनुमंत राव, "पंचायती राज संस्थाओ के वितीय प्रावधान एवम् स्थिति की समीक्षा", सर्वोदय पब्लिशिंग हाउस, न्यू दिल्ली, 2014, पृष्ठ 152 ।

रवि कुमार शर्मा, "पोल्टिक्स लीडरशिप", अमर पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1991, पृष्ठ 152- 291 ।

चक्रवर्ती और भट्टाचार्य, "लीडरशिप फंगशन एंड पंचायती राज", रावत पब्लिकेशन, जयपुर, 1993, पृष्ठ 78-91 ।

7/25/2020